न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 47/2024 G.C.M.S. No. 2024/216 दर्ज दिनांक : 05.07.2024

अपीलार्थिगण:

1. नारायण सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह,
2. शम्भूसिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह,

जातियान राजपूत, निवासी ग्राम भैसाणा, तहसील सोजत, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. चन्दनसिंह पुत्र छैलसिंह,
2. गायड़सिंह पुत्र छैलसिंह,
3. पदमसिंह पुत्र छैलसिंह,
4. परबतसिंह पुत्र छैलसिंह,
5. भंवरसिंह पुत्र छैलसिंह,
6. पेफकंवर पत्नी छैलसिंह,

जातियान राजपूत, निवासी ग्राम भैसाणा, तहसील सोजत, जिला पाली।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर, सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 37/2023 बअनवान चन्दनसिंह वगैरह बनाम नारायणसिंह वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.04.2023 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:–

1. श्री रोशनलाल, श्री दिवाकर शर्मा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स।
2. श्री भवानी सिंह जैतावत विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 15.10.2025

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर, सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 37/2023 बअनवान चन्दनसिंह वगैरह बनाम नारायणसिंह वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.04.2024 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 से 06 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद ग्राम भैसाणा, तहसील सोजत, जिला पाली में स्थित खेत खसरा संख्या 280 रकबा 1.0700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 420 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 431 रकबा 0.8800 हैक्टेयर,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर- पाली

तारीख पेशी

खसरा संख्या 424 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 425 रकबा 3.7800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 425/833 रकबा 6.7800 हैक्टेयर भूमि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। जिसमें वादीगण का आधा हिस्सा तथा प्रत्येक वादी का 1/12–1/12 हिस्सा है। इसी तरह प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा है। मौके पर सामलाती कुंआ पर आने जाने का रास्ता मौजूद है, जो भविष्य में सामलाती रहेगा। खसरा संख्या 423 गैर मुमकिन सडा है तथा खसरा संख्या 422 कुंआ है, जिसमें वादीगण एवं अपीलार्थीगण का आधा हिस्सा दर्ज है, जो सामलाती है। मौके पर कृषि सुविधा के अनुसार सहमति से बंटवाडा किया हुआ है, जिसमें सम्पूर्ण कृषि का आधा हिस्सा पूर्व दिशा वाला खसरा संख्या 421, 420 व 425/33 का हिस्सा अपीलार्थीगण ने अपने पक्ष में अपनी स्वेच्छा से रखा है तथा शेष आधा हिस्सा वादीगण को दिया हैं। अब चूंकि काश्त साथ में किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिये नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा किया जाने का निवेदन किया। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, बाद तामिल उनकी ओर से अधिवक्ता दिनांक 01.01.2024 को उपस्थित हुए जिनके द्वारा जवाब हेतु समय लिया गया लेकिन दिनांक 03.04.2024 को जवाब बंद कर दिया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई तथा वादीगण की बहस सुनते हुए अपने निर्णय व डिकी दिनांक 03.04.2024 के द्वारा वाद को स्वीकार किये जाने का निर्णय पारित किया, जिसमें विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की सुनवाई किये बिना ही तथा जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया और ना ही साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा ना ही साक्ष्य हेतु अपीलार्थीगण को अवसर दिया गया, जिससे भी साबित होता है कि अपीलाधीन निर्णय बिना सुनवाई एवं बिना साक्ष्य के वाद डिक्री किये जाने का निर्णय गलत रूप से पारित किया गया है तथा अपीलार्थीगण व वादीगण के मध्य बंटवाडा को लेकर विवाद है तथा हिस्सों को लेकर भी विवाद है इसलिये बंटवाडा का वाद चलने योग्य नही रह जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिकी दिनांक को अपास्त व निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान फरमायें तथा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाकर जवाब को रेकर्ड पर लिया जाकर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि अनुसार वाद को निस्तारण किये जाने का निर्देश फरमावें।

स्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

अपील म्याद के बिन्दुओं पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 से 6 ने वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में एक दावा बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय ने दिनांक 03.04.2024 द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत लगभग 1 माह के विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गयी।
2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलंबकाल के कारण व माफ करने के लिए मुख्य रूप से यह आधार लिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के बिना जवाब को लिये तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया है, जिसमें अधिवक्ता के उपस्थित होने के बावजूद उन्हें सुना नहीं गया तथा उनकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। वर्तमान में मौके पर पटवारी हल्का द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने का कहा गया, तो अपीलार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा पता करके बताया गया कि प्रकरण में निर्णय कर दिय गया है, जिस पर दिनांक 27.06.2024 को नकल हेतु आवेदन किया जो नकल तैयार होकर दिनांक 27.06.2024 को प्राप्त हुई आवेदन किया, जिनका पढ़ने पर अपीलार्थीगण को प्रथम बार आलौच्य आदेश की जानकारी हुई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
3. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील में लगभग 1 माह का विलम्ब है, जो दीर्घ विलम्ब नहीं है। हमारे विन्रम अभिमत में प्रकरण का निर्णयन कठोर तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर न किया जाकर गुणावगुण के आधार किया जाना चाहिए। उभयपक्षकारान को सुनवाई अवसर दिया जाना आवश्यक है। विलम्ब अपीलाण्ट की लापरवाही व उदासीनता के कारण नही हुआ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

है। अतः नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्बकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

4. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी को जवाबदावा का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना जवाबदावा का अवसर समाप्त करते हुए प्रकरण विभाजन से सबंधित वादपत्र होने के बावजूद पत्रावली का साक्ष्य में नियत किये बिना एवं वादी सहित किसी पक्षकार को साक्ष्य का अवसर दिये बिना प्रकरण में आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अनुपालना किये बिना गैर जरूरी व विधि विरूद्ध रूप से आनन–फानन में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गयी, जो प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिहीन होने के साथ–साथ विधि विरूद्ध भी है।

5. व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 08, 13, 14, 15, 16, 18, 19 व 20 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्रों का निस्तारण प्रतिवादी पक्षकारान को जवाब दावा का अवसर देते हुए, विवाद्यक आदि विरचित कर उक्त उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए प्रकरण निर्णित व डिक्री किया जायेगा, लेकिन हस्तगत प्रकरण में उक्त आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों के अनुपालन का सर्वथा अभाव पाया गया। ऐसी स्थिति में पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने व विधिसम्मत नहीं होने से पुष्टि योग्य नहीं है एवं उक्त प्राथमिक डिक्री के अनुक्रम में की गयी समस्त पश्चात्वर्ती कार्यवाही इससे आच्छादित होने से स्वतः निरस्त योग्य हो जाती है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा विन्रम मत है कि अपील अपीलाण्ट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः उक्त दोनों अपील अपीलांट्स अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 37/2023 बअनवान चन्दनसिंह वगैरह बनाम नारायणसिंह वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.04.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 08, 13, 14, 15, 16, 18, 19 व 20 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल के संगत विधिक प्रावधानों में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का व उभयपक्षकारान् को साक्ष्य व प्रतिरक्षा आदि का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णित व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 17.11.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर, सोजत में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से दो कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **16.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली